

महामारी-विरोधी उपायों के तहत बीमारी भत्ता और रोजगार की सुरक्षा

रोजगार (संशोधन) अध्यादेश 2022 17 जून 2022 से लागू हो चुका है
मुख्य संशोधनों में शामिल हैं:

- रोजगार अध्यादेश (EO) के अंतर्गत एक बीमारी के दिन में वह दिन शामिल होता है जिस दिन एक कर्मचारी उसकी एक निश्चित आवश्यकता के अनुपालन के कारण काम से गैरहाज़िर रहता है जो बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण अध्यादेश (नियम. 599) के तहत सक्रियता पर प्रतिबंध लगाती है (जैसे कि, एक आइसोलेशन ऑर्डर द्वारा लगाया गया प्रतिबंध।)
 - सबूत की आवश्यकता: दस्तावेज़ की हार्ड कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध या सरकार द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक डेटा, कर्मचारी का नाम या ऐसी जानकारी जो कर्मचारी की पहचान की पुष्टि कर सकती है; पूर्व उल्लिखित प्रतिबंध का प्रकार और इस तरह के प्रतिबंधों की शुरुआत और समाप्ति की तारीखें।
 - नियोक्ताओं को योग्य कर्मचारियों को बीमारी भत्ता देना आवश्यक है।*
(*एक निरंतर अनुबंध के अंतर्गत नियोजित, बीमारी के लिए ली गई छुट्टी लगातार 4 दिनों से कम न हो, पर्याप्त संख्या में इकट्ठी भुगतान की गई बीमारी के दिनों में बीमारी की छुट्टियां और यह बीमारी की छुट्टियां आवश्यक प्रमाण के द्वारा समर्थित हैं।)
- EO के तहत उपरोक्त प्रतिबंध के कारण किसी कर्मचारी के काम से गैरहाज़िर रहने के कारण बर्खास्तगी को अनुचित बर्खास्तगी माना जाता है।

विवरण के लिए, कृपया श्रमिक विभाग की वेबसाइट देखें
www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2022.htm.

[नोट: यह सूचना पत्र सरल शब्दों में EO में किये गए प्रमुख संशोधनों को निर्धारित करता है। व्याख्या किये गए कानून के प्रावधानों के लिए EO एकमात्र प्राधिकरण है।]



勞工處
Labour Department

पूछताछ हॉटलाइन: 2717 1771

(हॉटलाइन "1823" द्वारा हैंडल किया जाता है)



श्रमिक विभाग वेबसाइट:

www.labour.gov.hk